न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,देहरादून।
प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या 221/2024

राज्य बनाम अज्ञात

प्रार्थी/अधिकृत हस्ताक्षरी– आकाश चौहान पुत्र श्री एस0के0 चौहान, निवासी–एच0एन0सी0–212 गरिमा विहार सेक्टर 35 दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। हाल निवासी–ए–601 मैक्सवेल रेजीडेन्सी सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

मु0अ0सं0–18/2024
अ0/धारा 279, 338, 427 भा0दं0सं0
थाना डालनवाला देहरादून।

दिनांक 02.02.2024

प्रार्थी/अधिकृत हस्ताक्षरी आकाश चौहान की ओर से यह वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र, मु0अप0सं0 18/2024, अं0/धारा 279, 338, 427 भा0द0सं0, 1860, अं0/थाना डालनवाला देहरादून जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक गुप्ता वाहन सं0 एच0आर0–51–सी0एच0–2291 को अपने पक्ष में रिलीज कराने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त अपराध में उक्त वाहन की कोई संलिप्तता नहीं है। उक्त अधिक दिनों तक वाहन थाने में खडा रहने से खराब होने का अंदेशा है। प्रार्थी उपरोक्त वाहन रिलीज करवाने हेतु न्यायालय में जमानत/अण्डर टेकिंग देने को तैयार है तथा जमानत की शर्तो का उल्लघंन नहीं करेगा। अतः उपर्युक्त वाहन, प्रार्थी के पक्ष में रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

इस संबंध में संबंधित थाना डालनवाला, देहरादून से रिपोर्ट मंगाई गई, जिसके अनुसार उपर्युक्त वाहन मु0अ0सं0 18/2024 अं0/धारा 279,338,427 भा0द0सं0, 1860 में थाना परिसर में निरूद्ध होना बताया गया है ।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना ।

प्रार्थी की ओर से उक्त वाहन से संबंधित अधिकार पत्र, मतदाता पहचान पत्र व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अवलोकन से प्रार्थी उपर्युक्त वाहन का स्वामी होना प्रतीत होता है। वाद के निस्तारण में अभी विलम्ब है, तब तक उपर्युक्त वाहन को थाने पर रखा गया तो उसके खराब होने का अन्देशा हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य एआईआर 2003 सु0को0 पेज 638 में यह निर्देश दिए हैं कि माल को अनावश्यक रूप से थाना परिसर में न रखा जाय।

उक्त परिस्थितियों में उपर्युक्त वाहन संख्या एच0आर0–51–सी0एच0–2291 उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में निम्न शर्तो पर रिलीज किया जाता हैः–

1. प्रार्थी मु0 1,50,000/– रू0 की धनराशि का बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू पेश करे ।

2. प्रार्थी इस बात की अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि वह विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपरोक्त वाहन, को अपने स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।

3. यह कि दौरान विचारण वह वाहन को न किसी को बेचेगा, न किसी अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करेगा व न ही उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन करेगा।

4. प्रार्थी पेश किये गये दस्तावेजो की फोटोप्रति पत्रावली पर दाखिल करेगा।

संबंधित थानाध्यक्ष, देहरादून को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वाहन यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो, उसे इस मामले में, उसके पंजीकृत स्वामी/प्रार्थी/अधिकृत हस्ताक्षरी के पक्ष में नियमानुसार सुपुर्द करे।

(लक्ष्मण सिंह)
सी0जे0एम0,
देहरादून।